

**(TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE
GAZETTE OF INDIA)**

**eF. No. 4/1(ii)/2025-BO.I
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services**

New Delhi, the 23rd September, 2026
Asvina 1, 1948 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 8 (1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (amended *vide* notification dated 17.11.2022), the Central Government hereby extends the tenure of Shri Bhavendra Kumar (DoB: 03.10.1967), Executive Director, Canara Bank, beyond his currently notified term which is ending on 08.10.2026, till the date of his superannuation, i.e. 31.10.2027, or until further orders, whichever is earlier.


(Sanjay Kumar Mishra)

Under Secretary to the Government of India

To:

The Manager
Government of India Press
Mayapuri Industrial Area, Ring Road
New Delhi

(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (II) में प्रकाशनार्थ)

ईफा.सं. 4/1(ii)/2025-बीओ. I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2026

अश्विन 1, 1948 (शक)

अधिसूचना

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 (दिनांक 17.11.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) के पैरा 8 (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा श्री भवेन्द्र कुमार (जन्म तिथि: 03.10.1967), कार्यकारी निदेशक, कैनरा बैंक के कार्यकाल को उनकी वर्तमान में अधिसूचित अवधि, जो 08.10.2026 को समाप्त हो रही है, से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 31.10.2027 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो विस्तारित करती है।



(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में:

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड

नई दिल्ली